छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर
दूरभाष क. 0771–4066212, फैक्स – 0771–4066214,

क्रमांक/ई–निविदा/NOIT/चना/2018–19/16 रायपुर, दिनांक :– 12/4/18

चना क्रय द्वितीय ई–निविदा निरस्तीकरण सूचना

छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के पत्र क्रमांक/ई–निविदा /NOIT/चना/2017–18/916 दिनांक 03.03.2018 के द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 में समूह क्रमांक–एक के लिए 20616 मे.टन, समूह क्रमांक–दो के लिए 13380 मे.टन तथा समूह क्रमांक–तीन के लिए 14604 मे.टन कुल तीनों समूहों के लिए 48600 मे.टन चना वितरण करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम तथा प्रतिष्ठित फर्मो/प्रतिष्ठानों से द्वितीय ई–निविदा दिनांक **04 अप्रैल 2018 को सायं 5.00 बजे** तक आमंत्रित की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4–9/खाद्य/2015/29–1/817 नया रायपुर, दिनांक 11.04.2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि व्यापक राष्ट्रहित में भारत सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन कर बाजार मूल्य स्थिरीकरण के लिए बनाये गये राष्ट्रीय बफर स्टॉक से भारत सरकार की एजेंसी नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चर को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्ष 2018–19 में वितरित किये जाने वाले चने का क्रय समूह क्रमांक–एक, दो एवं तीन की वार्षिक आवश्यकतानुसार 48600.00 मे.टन चना क्रय छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम की निविदा के नियम एवं शर्तो के अनुसार किया जावे।

राज्य शासन के उक्त निर्देश के परिपालन में जारी द्वितीय ई–निविदा के परिशिष्ट–दो "चना प्रदाय हेतु निविदा की नियम एवं शर्ते" की कंडिका 39 के प्रावधान के तहत् नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा पत्र क्रमांक/ई–निविदा/NOIT/चना/2017–18/916 दिनांक 03.03.2018 के माध्यम से जारी द्वितीय ई–निविदा एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

12.04.18

प्रबंध संचालक